

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)05 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 150000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी / श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ नि:शकता का खोरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० नारायण सादा, श्री धनेश्वर सादा, अनु० जाति	श्रीमती लीला देवी(पत्नी)	548/23. 08.2018	ग्रा०+पो०-पहाड़पुर, पं०-चकमारो, था०-बख्तियारपुर, प्र०-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा	10079910 30080621	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, पहाड़पुर, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, ईट निर्माण व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० मुख्तार, मो० उस्मान, सामान्य	श्रीमती नुरजहाँ खातुन(पत्नी)	549/23. 08.2018	ग्रा०-उसराही, पं०-मोहनपुर वार्ड नं० 5, पो०-बलवाहाट, था०-बख्तियारपुर, प्र०-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा	35446462 754	भारतीय स्टेट बैंक, सरडीहा, SBIN0008363	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, दर्जीगिरी कार्य में शिल्पकार
3	स्व० सिकन्दर, स्व० अताबुल, सामान्य	श्रीमती मुमताज बेगम(पत्नी)	550/23. 08.2018	ग्रा०-उसराही, पं०-मोहनपुर वार्ड नं० 5, पो०-बलवाहाट, था०-बख्तियारपुर, प्र०-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा	35523727 238	भारतीय स्टेट बैंक, सरडीहा, SBIN0008363	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, दर्जीगिरी कार्य में शिल्पकार
4	स्व० विन्देश्वरी यादव, श्री झलक यादव, पि० जाति	श्रीमती सिया देवी(पत्नी)	551/23. 08.2018	ग्रा०-बैला टोला, पं०-मोहनपुर वार्ड नं० 06, पो०-बलवाहाट, था०-बख्तियारपुर, प्र०-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा	35446462 765	भारतीय स्टेट बैंक, सरडीहा, SBIN0008363	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, टेला चालन कार्य में शिल्पकार
5	स्व० चौदरू, श्री अबुल, सामान्य	श्रीमती मलय(पत्नी)	552/23. 08.2018	ग्रा०-उसराही, पं०-मोहनपुर वार्ड नं० 5, पो०-बलवाहाट, था०-बख्तियारपुर, प्र०-सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा	35496749 602	भारतीय स्टेट बैंक, शंकरपुर, SBIN0015733	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, दर्जीगिरी कार्य में शिल्पकार

कुल :- ₹ 150000/-

(एक लाख पचास हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-26/2018 के पृष्ठ-15/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-26/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)


कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-26/2018-431


पटना, दिनांक :- 13-9-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/रु लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 150000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, सहरसा को उनके पत्रांक 548, 549, 550, 551, 552 दिनांक 23.8.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)  
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

  
(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।